उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिवीजन वाद सं0 05/20–21

धुरनधर मंडल एवं अन्य.....आवेदक

बनाम

देगन पंडित.....विपक्षी

आदेश

11.01.2022

यह रे0मि0 रिवीजन वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0–87/14–15 में पारित आदेश दिनांक–23.05.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है। जिसमें विपक्षी के साथ मौजा झांझर के दाग सं0 469 में मिली बन्दोबस्ती को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के न्यायालय में उपस्थित नहीं रहने के कारण उन्हें दिनांक–11.01.2022 तक लिखित बहस दाखिल करने का आदेश दिया गया। आवेदक की ओर से दिनांक–05.01.2022 को लिखित बहस दाखिल किया गया है। विपक्षी की ओर से लिखित बहस/कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

आवेदक द्वारा लिखित बहस निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

(1) मौजा के दाग सं0–462 एवं 469 गेंजर सर्वे सेटेलमेंट परती कदीम दर्ज है।

(2) तत्कालीन प्रधान द्वारा दाग सं0–462 एवं 469 में निम्न रैयतों के साथ पट्टा बन्दोबस्ती दिया गया है :–

(1) शिबु मंडल पिता लाटु मंडल के साथ दाग सं0–462 एवं 469 में क्रमशः 01 बीघा 07 कट्ठा एवं 01 बीघा 09 कट्ठा दिनांक–14.05.69 को।

(2) कटकी मंडल पिता बुधु मंडल के साथ दाग सं0–462 में 05 कट्ठा एवं 469 में 01 बीघा 09 कट्ठा दिनांक–17.03.69 को।

(3) पंचन मंडल पे0 स्व0 बाबुलाल मंडल को दाग सं0–462 एवं 469 में रकवा 01(एक) बीघा 12 कट्ठा दिनांक–03.11.69 को।

(4) दाग सं0–469 के रकवा 05 कट्ठा जमीन पर प्रकाश पंडित एवं रामानन्द पंडित द्वारा मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे है।

बन्दोबस्ती प्राप्त जमीन पर सभी रैयत (बन्दोबस्तधारी) द्वारा जमीन खंडित कर जोत आवाद कर रहा है, किन्तु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत जमीन में विपक्षी के साथ 61 डी0 जमीन की बन्दोबस्ती की गई है जो न्याय संगत नहीं है।

(5) विपक्षी के साथ बन्दोबस्ती के पूर्व 16 आना रैयतों को नोटिस तामिला नहीं किया गया है जो संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के नियम के अनुकुल नहीं है।

अतः विपक्षी के साथ की गई बन्दोबस्ती को रद्द किया जाय।

प्रावधान

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–27 :–

Sec-27. Settlement of waste land to be made by patta in prescribed form Settlement of waste land shall be made by a patta or amalnama in the prescribed from. The patta or amalnama shall be prepared in quadruplicate, one copy shall be given to the raiyat concerned, one copy shall be sent to the landlord and the fourth shall be retained by the village headman or mulraiyat, as the case may be.

Sec -32. Objection before the Deputy Commissioner against settlement of waste land and vacant holdings- (1) A Person. if aggrieved by any act of the village headman or mulraiyat or landlord, as the case may be, in setting or refusing to settle waste land or vacant holding. Or if aggrieved by any act of any other person in respect of such land or holding. may make an application before the Deputy Commissioner within one year

from the date on which reclamation in pursuance of settlement was commenced or settlement was refused.

निष्कर्ष

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों क अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के प्रधान द्वारा प्रश्नगत जमीन में वर्ष 1969 में मौजा के विभिन्न रैयतों के साथ पट्टा बन्दोबस्ती किया गया है किन्तु आवेदकों के द्वारा बन्दोबस्ती पट्टा की प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदकों का दावा सही प्रतीत नहीं होता है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि मामला दाग सं0–469 में विपक्षी के साथ की गई बन्दोबस्ती से संबंधित है, किन्तु आवेदकों द्वारा दाग सं0–462 के बन्दोबस्ती के संबंध में भी जिक्र किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा विपक्षी के बन्दोबस्ती जमीन के आधार पर अपना दखल भी संपुष्ट कराना चाहते है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में आवेदक द्वारा अपने दावों के संबंध में कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इस आधार पर उनके दावों पर स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:57:47 +05:30
Location: 169.254.227.244